

राजस्थान सरकार  
चिकित्सा गृह-4 आयुर्वेद विभाग

क्रमांक :- प. 28/15 आयु/05

जयपुर, दिनांक :- 27.6.07

आदेश

"इलेक्ट्रोपैथी" पद्धति मान्यता प्रदान करने हेतु विस्तृत अध्ययन कर गुण दोष के आधार पर औचित्यपूर्ण सिफारिश करने हेतु निम्नानुसार कमेटी का गठन किया जाता है :-

- |  |   |         |
|--|---|---------|
| 1. कुलपति, राजा आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर                     | - | अध्यक्ष |
| 2. श्री एस.के. शर्मा, सलाहकार, आयुष विभाग<br>भारत सरकार            | - | सदस्य   |
| 3. निदेशक, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर                       | - | सदस्य   |
| 4. प्राचार्य, मदनमोहनमालवीय राजकीय आयुर्वेद<br>महाविद्यालय, उदयपुर | - | सदस्य   |

कमेटी अपनी रिपोर्ट तीन माह में राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी।

OLC उपसचिव

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयुर्वेद
2. कुलपति, राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर
3. श्री एस.के. शर्मा, सलाहकार आयुष विभाग, भारत सरकार
4. निदेशक, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर
5. प्राचार्य, मदनमोहनमालवीय राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, उदयपुर।
6. रक्षित पत्रावली

क्रमांक 28/15 आयु/05

राजस्थान सरकार  
चिकित्सा विभाग  
जयपुर (राज.)

OLC सहायक शासन सचिव

आयुर्वेद विभाग प्र.प. 4  
जारी किया दि. 27.6.07